GOVERNMENT OF HARYANA / हरियाणा सरकार

Directorate School Education
विद्यालय शिक्षा निदेशालय

शिक्षा, संस्कृति एवं विकास
Education, Culture and Development
School Education, Haryana
विद्यालय शिक्षा, हरियाणा
तमसो मा ज्योतिर्गमय
Lead me from Darkness to Light

www.schooleducationharyana.gov.in | edusecondaryhry@gmail.com

सेवा मे.

Principal GGSSS Bamla (Bhiwani) [4045]

यादी कमांक 2/14–2016 निर्माण (2)

दिनाक पंचकुला 02.11.2016

विषय माईनर वर्क्स ग्रान्ट स्पैशल रिपेयर/निर्माण/एलटरेशन आफ गवर्नमैट स्कूलज वर्ष 2016–2017 (नान–प्लान)

हरियाणा सरकार ने वित्त विभाग के अशा0कमांक 5/6–2005 बी एण्ड सी दिनाक 11.06.2010 की पालना में प्रशासकीय विभाग के यादी कमाक 2/14–2016–निमार्ण(2) दिनाक 02.05.2016 के प्रंसग में, के अन्तर्गत 1800.00 लाख रूपये की संशोधित अनुमान मे प्राप्त अतिरिक्त राशि खर्च करने की प्रशासकीय स्वीकृति जारी की गई है। इस स्वीकृत राशि से निम्नलिखित विद्यालयों पर उनके समक्ष अकिंत कार्य हेतु प्रस्तावित राशि सरकारी खजाने से निकलवाकर खर्च करने की अनुमति प्रदान की जाती है:–

	विद्यालय का नाम	कार्य का नाम	प्रस्तावित राशि
1	GGSSS Bamla (Bhiwani) [4045]	Repair and construction of rooms and B/Wall.	1926000.00
		कुल राशि	**1926000.00**

उपरोक्त राशि खजाने से निकलवाकर निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि के कार्य संबंधित कमेटी एंव जिला शिक्षा अधिकारी की देखरेख में करवाया जाए। उपरोक्त राशि खर्च करने की अनुमति निम्नलिखित शर्तो पर प्रदान की जाती है:–

1 सभी प्रकार का खर्च सरकार की हिदायतों/नार्म तथा नियमानुसार सक्षम प्राधिकारी के अनुमोदन से ही करना होगा।

2 निर्माण का कार्य लोक निर्माण विभाग के स्पैशिफिकेशन के आधार पर करना होगा।

3 सरकार की हिदायतें यादी क्रमांक 23/42/91 शिक्षा III (2) दिनांक 19.12.1991 तथा यादि क्रमांक 2/43–2006 निर्माण (2) दिनांक 31.01.2007 की दृढता से पालना करनी होगी तथा इन्हीं हिदायतों के अनुसार कमेटी गठित करके तथा कमेटी की देख–रेख में निर्माण कार्य करवाना होगा।

4 विद्यालयों के भवन के निर्माण/मुरम्मत/अलटरेशन इत्यादि कार्य शीघ्र करवा कर उपयोगिता प्रमाण पत्र संबंधित मुखिया/प्रधानाचार्य व एस0एस0सी0 कमेटी के हस्ताक्षर करवाने उपरान्त गये कार्य की फोटो सहित जिला शिक्षा अधिकारी के प्रतिहस्ताक्षर प्राप्त करके तत्काल निदेशालय को भेजना होगा। कार्य करवाने उपरान्त शेष उपलब्ध राशि यदि होतो उसे तुरन्त खजाने में चलान द्वारा जमा करवा कर निदेशालय को उपयोगिता प्रमाण पत्र के साथ भेजे।

5 आपके विद्यालय को जारी की गई राशि निदेशालय के Engineering सैल द्वारा लोक निर्माण विभाग के नार्म अनुसार अनुमान चैक करके राशी कम/ज्यादा प्रदान की गई है। उक्त राशि उसी कार्य हेतु खर्च करने का कष्ट करें।

6 जब तक इस राशि का उपयोगिता प्रमाण पत्र निदेशालय में प्राप्त नही होता है तो भविष्य में उस विद्यालय को अगली राशि की स्वीकृति प्रदान नही की जायेगी।

यह खर्चा मद शीर्ष "2202 General Education -02 – Secondary Education – 053-Maintance of Building (99) Addition & Alteration in Govt. Schools - (17) Minor Works". (Non Plan) 2016-17 के अन्तर्गत वहन करना होगा।

अधीक्षक निर्माण
कृतः निदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।

पृश्ठाकन कमाक 2/14–2016 निर्माण (2) दिनांक, पंचकुला 02.11.2016

इसकी एक प्रति निम्नलिखित को आवश्यक कार्यवाही एवं सूचनार्थ प्रेषित है:–

1 जिला शिक्षा अधिकारी, भिवानी को उनके द्वारा भेजे गए अनुमान के सदंर्भ में भेजकर अनुरोध है कि भवनों के निर्माण/मुरम्मत का कार्य उनकी देख–रेख मे समय पर पूर्ण करवाकर तथा विद्यालय के मुखिया से राशि का उपयोगिता प्रमाण–पत्र प्राप्त करके प्रतिहस्ताक्षर सहित निदेशालय को भेजे जाये।

2 अतिरिक्त उपायुक्त भिवानी।

3 जिला खजाना अधिकारी भिवानी

4 उप खजाना अधिकारी, चरखी दादरी/लोहारू/सिवानी/बाढ़ड़ा/बवानी खेड़ा/तोशाम///

5 अतिरिक्त मुख्य सचिव, हरियाणा सरकार, वित्त विभाग, चण्डीगढ को उनके अशा0 कमांक 5/6/2005–5 बी0 एण्ड सी0 दिनांक 11.06.2010 के संदर्भ मे।

6 महालेखाकर हरियाणा (ए0एण्ड ई0) चण्डीगढ।

7 महालेखाकार हरियाणा (ऑडिट) चण्डीगढ।

8 अधीक्षक बजट शाखा (स्थानीय)।

9 मुख्य लेखा अधिकारी (बी0सी0ए0) स्थानीय

10 इसकी एक प्रति Engineering सैल को सूचनार्थ/आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित है।

अधीक्षक निर्माण
कृतः निदेशक विधालय शिक्षा
हरियाणा, पंचकुला।